रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2511] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2018/आषाढ़ 14, 1940
No. 2511] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2018/ASHADHA 14, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

का.आ. 3265(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 8 के उपखंड (4) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि राज्य सरकार, इस उपखंड के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी स्नातक उपाधि विहित कर सकेगी जो कृषि विज्ञान स्नातक या रसायन विज्ञान स्नातक के समतुल्य अथवा किसी अन्य उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के समतुल्य हो जिसमें कम से कम एक विषय कृषि इनपुट या रसायन विज्ञान हो।"।

3. उक्त आदेश के खंड 27क के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"उर्वरक निरीक्षक का नियमित प्रशिक्षण प्रत्येक उर्वरक निरीक्षक प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान या मुंबई, कल्याणी या चैन्नई में किसी क्षेत्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।"।

4. उक्त आदेश के खंड 29ख के उपखंड (1) में "चैन्नई, कोलकाता, गाजियाबाद, मुंबई और जयपुर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह, मृदा विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) पूसा नई दिल्ली और प्रत्येक" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक" शब्द रखा जाएगा ।

5. उक्त आदेश के खंड 29ख में, उपखंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) यथास्थिति, उपखंड 32(क) में यथाविनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या नियंत्रक, उपखंड (2) के अधीन अपील प्राप्त होने पर विनिश्चित करेंगे तथा तीसरे नमूने को विश्लेषण के लिए चैन्नई, कोलकाता, मुंबई, गाजियाबाद या जयपुर स्थित किसी राष्ट्रीय परीक्षण गृह भेजेंगे।"।

6. उक्त आदेश के खंड 30 में,—

(क) उपखंड (1) में "7 दिन" अंक और शब्द के स्थान पर "तीन कार्य दिवस" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) प्रयोगशाला, उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रयोगशाला में नमूने की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर नमूने का विश्लेषण करेगी और प्ररूप ठ में विश्लेषण रिपोर्ट अग्रेषित करेगी और कार्बनिक उर्वरक, बायोउर्वरक तथा अखाद्य तेलरहित खलि उर्वरक के नमूने के मामले में तीस दिन के भीतर प्ररूप ठ1, ठ2, और ठ3 में भरकर अग्रेषित करेगी।"।

(ग) उपखंड (3) में "15दिन" अंक और शब्द के स्थान पर "सात दिन" शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त आदेश के खंड 32 में, उपखंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(3) उपखंड (2) में निर्दिष्ट प्रयोगशाला से प्राप्त निर्णायक विश्लेषक रिपोर्ट, पहली प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत की गई विश्लेषण रिपोर्ट को अधिक्रांत करेगी और उसे अंतिम माना जाएगा:

परंतु उस मामले में जहां नमूने को विभिन्न प्राचलों में पहली विश्लेषण रिपोर्ट और निर्णायक विश्लेषण रिपोर्ट दोनों में गैर मानक घोषित किया जाता है या, यथास्थिति, पहले विश्लेषण तथा निर्णायक विश्लेषण की विश्लेषण रिपोर्ट में बहुत अंतर है, वहां व्यथित व्यक्ति ऐसे प्रभारों के संदाय पर जो ऐसे विश्लेषण के लिए अपेक्षित हों निर्णायक विश्लेषण की रिपोर्ट की तारीख से तीस दिन के भीतर तीसरे विश्लेषण के लिए नियंत्रक को अपील कर सकेगा ।

(4) नियंत्रक व्यथित पक्षकार को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् खंड 29ख के उपखंड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए तीसरा नमूना भेज सकेगा।

(5) उपखंड (4) में निर्दिष्ट तीसरे विश्लेषण का परिणाम पहले विश्लेषण तथा निर्णायक विश्लेषण रिपोर्ट को अधिक्रांत करेगा और अंतिम माना जाएगा ।

8. उक्त आदेश के खंड 32क में, उपखंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) निर्णायक प्रयोगशाला से प्राप्त निर्दिष्ट विश्लेषण की रिपोर्ट पहली प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट को अधिक्रांत करेगी और उसे अंतिम माना जाएगा:

परंतु उस मामले में जहां नमूने को विभिन्न प्राचलों में पहली विश्लेषण रिपोर्ट और निर्णायक विश्लेषण रिपोर्ट दोनों में गैर मानक घोषित किया जाता है या यथास्थिति, पहले विश्लेषण तथा निर्णायक विश्लेषण की विश्लेषण रिपोर्ट में बहुत अंतर है, वहां व्यथित व्यक्ति ऐसे प्रभारों के संदाय पर जो ऐसे विश्लेषण के लिए अपेक्षित हों निर्णायक विश्लेषण की रिपोर्ट की तारीख से तीस दिन के भीतर तीसरे विश्लेषण के लिए अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(4) अपील प्राधिकारी व्यथित पक्षकार को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् खंड 29ख के उपखंड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला के विश्लेषण के लिए तीसरा नमूना भेज सकेगा ।

(5) उपखंड (4) में निर्दिष्ट तीसरे विश्लेषण का परिणाम पहले विश्लेक्षण तथा निर्णायक विश्लेषण रिपोर्ट को अधिक्रांत करेगा और अंतिम माना जाएगा ।

9. उक्त आदेश की अनुसूची 1 के भाग (क) में,—

(क) सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित शीर्षक 1(छ) में, क्रम संख्यांक 22 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

"23 बोरोन इथेनोलामाइन

(i)	भार के आधार पर प्रतिशत बोरोन (B के रूप में), न्यूनतम	10.0
(ii)	P[H]	8.5+1
(iii)	विशिष्ट गुरुत्व	1.3-1.4
(iv)	भार के आधार पर सीसा (Pb के रूप में, अधिकतम)	0.003
(v)	भार के आधार पर प्रतिशत संखिया	0.01
(vi)	भार के आधार पर As के रूप में अधिकतम	0.0025";

(ख) फोर्टिफाइड उर्वरकों से संबंधित उपशीर्षक 1(ज) में क्रम संख्यांक 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"26. जस्ता ऑक्साइड के साथ सूक्ष्म दाने के रूप में फोर्टिफाइड तात्विक गंधक

(i) भार के आधार पर प्रतिशत तात्विक गंधक S के रूप में, न्यूनतम	67.0
(ii) भार के आधार पर प्रतिशत जस्ता, Zn के रूप में, न्यूनतम	14.0
(iii) भार के आधार पर प्रतिशत नमी, अधिकतम	2.6

(iv) कण का आकार 0.149 मिमीआईएस छलनी पर सामग्री का 80% बना रहेगा"।

10. उक्त आदेश की अनुसूची 2 के भाग क के पैरा 4क में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(iv) 100% जल में घुलनशील उर्वरक और 100% जल में घुलनशील उर्वरक का मिश्रण 100 ग्रा.";

11. उक्त आदेश की अनुसूची 4 के भाग क में क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"8 रोडोफाइट्स से व्युतपन्न पोटाश

(i) भार के आधार पर नमी प्रतिशत, अधिकतम	5.0
(ii) भार आधार जल में घुलनशील पोटाश, न्यूनतम	20.0
(iii) भार के आधार पर कुल गंधक (s के रूप में), न्यूनतम	1.5

(iv) भारी धातु अंश (मि.ग्रा./कि.ग्रा. के रूप में) अधिकतम

संखिया	(As_2O_3)	10.
कैडमियम	(Cd के रूप में)	5.0
क्रोमियम	(Cr के रूप में)	50.0
तांबा	(Cu के रूप में)	300.00
पारा	(Hg के रूप में)	0.15
निकेल	(Ni के रूप में)	50.00
सीसा	(Pb के रूप में)	100.00
जस्ता	(Zn के रूप में)	1000.00"

12. उक्त आदेश की अनुसूची V के भाग क में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

अखाद्य तेल रहित खली की साधारण विशिष्टियां

क्रम सं.	संघटक	विशिष्टियां
1.	भार के आधार पर नमी अधिकतम	10.0
2.	भार के आधार पर राख अधिकतम	15.0
3.	P^H	4.5 से 6.5
4.	चालकता	<4.0
5.	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (%) न्यूनतम	1.5
6.	भार के आधार पर कुल P_20_5 प्रतिशत, न्यूनतम	0.20
7.	भार के आधार पर पर कुल पोटाश K_2O प्रतिशत न्यूनतम	0.50
8.	भार के आधार पर पर कुल न्यूनतम कार्बन प्रतिशत न्यूनतम	23.0"

13. उक्त आदेश के प्ररूप ड में "एस.टी./सी.एस.टी." शब्दों के स्थान पर "जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी." शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 2-3/2018-उर्वरक विधि]

नीरजा अदीदम, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.758 तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ.संख्यांक 1323(अ) तारीख 22 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 5th July, 2018

S.O. 3265(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Third Amendment Order, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referred to as said Order), in clause 8, in sub-clause (4), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

> "Provided that a State Government may, by notification in Official Gazettee, specify such bachelor degree equivalent to the Bachelor of Science in agriculture or Bachelor of Science in chemistry or any other degree or diploma or certificate having at least one of the subjects as agriculture input or chemistry for the purpose of this sub-clause.".

3. After clause 27 A of the said Order, the following clause shall be inserted, namely,—

> "27 AA. Regular training of Fertiliser Inspectors.- Every Fertiliser Inspector shall undergo training after every three years in the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute or any Regional Fertiliser Quality Control Laboratory at Mumbai, Kalyani or Chennai." .

4. In clause 29 B, of the said Order, in sub-clause (1), for the words "National Test House at Chennai, Kolkatta, Ghaziabad, Mumbai and Jaipur, soil testing laboratory, Soil Science Division, Indian Agricultural Research Institute (IARI), PUSA, New Delhi and every", the word "Every" shall be substituted.

5. In clause 29B of the said Order, after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

> "(3) The Appellate authority as specified in sub-clause 32 A or the Controller, as the case may be, shall on receipt of an appeal under sub-clause (2) decide and send the third sample for analysis to any of the National Test House Laboratories at Chennai, Kolkatta, Mumbai, Ghaziabad or Jaipur.".

6. In clause 30 of the said order,-

(a) in sub-clause (1), for the words "seven days", the words "three working days" shall be substituted;

(b) for sub-clause (2), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

> "(2) The laboratory shall analyse the sample and forward the analysis report in Form L within fifteen days, and in case of the sample of organic fertiliser, biofertiliser and non-edible de-oiled cake fertilisers, in Form L1, L2 and L3, respectively, within thirty days, from the date of receipt of the sample in the laboratory to the authority specified in the said memorandum.".

(c) in sub-clause (3), for the words "15 days" , the words " seven days" shall be substituted.

7. In clause 32 of the said Order, after sub-clause (2), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

> "(3) The referee analysis report received from the laboratory referred to in sub-clause (2) shall supersede the analysis report submitted by first laboratory and shall be treated as final;.

> Provided that in case where the sample is declared as non-standard both in the first analysis report and referee analysis report but in different parameters or there is wide variation in the analysis report of first analysis and referee analysis, as the case may be, the aggrieved person may appeal to the controller for third analysis within thirty days from the date of receipt of the report of referee analysis on payment of such charges as may be required for such analysis.

4. The Controller after providing an opportunity to the aggrieved party of being heard may send the third sample for analysis to the Laboratory and specified under sub-clause (3) of clause 29 B.

5. The result of the third analysis referred to in sub-clause (4) shall supersede the first analysis and referee analysis report and shall be treated as final.".

8. In clause 32 A of the said Order, after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(3) The report of reference analysis received from referee laboratory shall supersede the analysis report submitted first laboratory and shall be treated as final:

Provided that in case where the sample is declared as non-standard both in the first analysis report and referee analysis report but in different parameters or there is wide variation in the analysis report of first analysis and referee analysis , as the case may be, the aggrieved person may appeal to the appellate authority for third analysis within thirty days from the date of receipt of the report of referee analysis on payment of such charges as may be required for such analysis.

(4) The appellate authority after providing an opportunity to the aggrieved party of being heard may send the third sample for analysis to the laboratory specified under sub-clause (3) of clause 29 B.

5. The result of the third analysis referred to in sub-clause (4) shall supersede the report of first analysis and referee analysis and shall be treated as final.

9. In Schedule I to the said Order, in Part A,—

(a) in sub-heading 1 (g), relating to Micronutrients, after serial number 22 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"23. Boron ethanolamine

(i)	Boron (as B), per cent. by weight, minimum	10.0
(ii)	pH	8.5±1
(iii)	Specific gravity	1.3-1.4
(iv)	Lead (as Pb) per cent by weight maximum	0.003
(v)	Arsenic (as As) per cent by weight, maximum	0.01
(vi)	Cadmium (as Cd) per cent by weight, maximum	0.0025";

(b) in sub-heading 1 (h), relating to Fortified fertilisers, after serial number 25 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"26. Elemental Sulphur fortified with Zinc Oxide in microgranule form

(i)	Elemental Sulphur as S per cent by weight, minimum :	67.0
(ii)	Zinc as Zn per cent by weight, minimum :	14.0
(iii)	Moisture, per cent by weight, maximum :	2.0

(iv) Particle size: 80%of the material shall retain on 0.149 mm IS sieve".

10. In Schedule II to the paid Order, in Part A, in paragraph 4 A, after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-

" (iv) For 100 % Water Soluble fertiliser and 100% water soluble Mixture of fertiliser 100g.";

11. in Schedule IV to the said Order, in Part A, after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"8. Potash derived from Rhodophytes

(i)	Moisture per cent by weight , maximum	5.0
(ii)	Water soluble Potash, per cent. by weight minimum	20.0
(iii)	Total Sulphur (as S) , per cent. by weight minimum	1.5

(iv) Heavy metal content (as mg/kg), maximum

Arsenic as (As_2O_3)	10.0
Cadmium (as Cd)	5.0
Chromium (as Cr)	50.0
Copper (as Cu)	300.00
Mercury (as Hg)	0.15
Nickel (as Ni)	50.00
Lead (as Pb)	100.00
Zinc (as Zn)	1000.00".

12. In Schedule V to the said Order, in Part A, for serial number 1 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely,-

"1. General specifications of Non-Edible De-Oiled Cake

Sl. No.	Components	Specification
1.	Moisture per cent. by weight maximum	10.0
2.	Ash Content per cent. by weight maximum	15.0
3.	pH	4.5 to 6.5
4.	Conductivity	<4.0
5.	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	1.5
6.	Total Phosphate P_2O_5 per cent. by weight, minimum	0.20
7.	Total Potash K_2O per cent. by weight minimum	0.50
8.	Total Carbon per cent. minimum by weight minimum	23.0".

13. In Form M to the said Order, for the words "ST/ CST", the words " GST/SGST" shall be substituted.

[F.No. 2-3/2018 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 758 (E), dated the 25th September, 1985 and last amended vide number S.O. 1323 (E) dated the 22nd March, 2018.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.09 22:45:31 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.